


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: प.43(93)मुसप्र/खुली बिक्री/नी.निर्णय/2012/3154 दिनांक:- 16.04.2012

कार्यालय आदेश


मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम-1970 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल की आवासीय योजनाओं में अवशिष्ट आवासों को खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये जाने पर रोक लगाते हुए आदेशित किया जाता है कि आवासन मण्डल की योजनाओं में ऐसे अवशिष्ट आवासों को उस शहर में, जिसमें कि अवशिष्ट आवास उपलब्ध हो वहां के, पंजीकृत आवेदकों को उनकी वरीयता एवं वर्ग के अनुसार लॉटरी द्वारा आवंटन किये जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। आदेशों की पालना नहीं किये जाने को गम्भीरता से लिया जाकर सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
- 3 वरिष्ठ निजी सहायक-वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा.आ.म. जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम, रा.आ.म. जयपुर।
- 5 उप आवासन आयुक्त, वृत्त रा.आ.म. ।
- 6 आवासीय अभियन्ता, खण्ड रा.आ.म. ।
- 7 जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 8 एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेब साइट पर डालने तथा सभी वृत्त कार्यालयों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित है।
- 9 रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Ku Sumar ji

Ku meera ji

D:\CEM Backup-2011\All Files-C\M Cell\Prakash ji-2\Office Order - P.tif

17/04/2012